सख्याः /XVII(4)/2014/5(58)/14

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 11 सितम्बर, 2014

विषयः–वित्तीय वर्ष 2014–15 में आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड से सम्बन्धित अनुदान संख्या 15 के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 853/अनुपूरक मांग बजट/2014–15, दिनांक 25–06–2014 एवं शासनादेश संख्या 987/XVII(4)/2014/**5(60)/13** दिनांक 13–5–2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2014–15 में समन्वित बाल विकास निदेशालय के अन्तर्गत राज्य/जिला/परियोजना स्तरीय किराये के वाहनों हेतु POL की (शत प्रतिशत राज्य सहायता) की व्यवस्था हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत पक्ष में निदेशालय आई0सी0डी0एस0 की स्थापना (90 प्रतिशत के0सह0) के अन्तर्गत गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद हेतु कुल धनराशि ₹65.52 लाख (₹पैसठ लाख बावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 622/XXVII(1)/2014, दिनांक 26–06–2014 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है।

2– उक्त के अन्तर्गत विभागीय योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु प्रत्येक वाहन किराये हेतु भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह ₹ 18000 का मानक निर्धारित है। राज्य सरकार द्वारा पी0ओ0एल की व्यवस्था हेतु ₹7000/– प्रतिमाह दिये जाने है अर्थात प्रति वाहन किराये की अधिकतम सीमा ₹25000/– निर्धारित किया जाना सुनिश्चित करें।

3– इस सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 3605/प्रवर्तन/दो–48/2013 दिनांक 08–08–2013 में उल्लिखित नियमो एवं शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

4– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त–पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशो के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहियें।

5– इस सम्बन्ध में कार्यवाही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत सुनिशिचित की जायेगी।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 15 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीया

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या–1823/XVII(4)/2013/5(51)/14 तद्दिनांक
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
4. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(निधि मणि त्रिपाठी)
प्रभारी सचिव